



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।

फैक्स- 011- 25846462

दूरभाष: 011- 25846462

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH

PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)

Tele – Fax :- 01509-238027

e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/2020-21

दिनांक-21.09.2020

fufonk&l ypuK

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) में तिल फसल का 120.00 एकड़ क्षेत्रफल **दस दस/सज्ज ओकट फ्लि एच दस/सज्ज ए 78-00 , दम+ , ओल ह दस/सज्ज ए 42-00 , दम+** की **दवकबि@खगकबि** हेतु सीलबन्द निविदाएं दिनांक 08.10.2020 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि उसी दिन सांय 3.30 बजे फार्म अधिकारियों की समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी निविदाये निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम, प्रति लॉट धरोहर राशि रुपये 4000/-(चार हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि **"उस्कय ल ह मी दकविकसकु फयेवम ल जकजख<#"** के नाम से सूरतगढ़ में देय हो के साथ देनी होगी। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु236/- का ड्राफ्ट देना होगा। सफल बोली/निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उपरोक्त कार्य के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236/- (रुपये दौ सौ छतीस मात्र) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तों की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। निविदादाता को निविदा के साथ अपने पेन कार्ड की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड/आधारकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी।

ल गक; द षककद मरि कनु 1/2
नर्स फुनस कद 1/2के 1/2

दलनह; jkT; Qke] I jnkjx< ¼ktLFkku½

क्रमांक: — सर/कृषि/20/2020-21

दिनांक: —

fry dh dVkbz@xgkbl ds fu; e o 'krā

1. बोलीदाता को धरोहर राशि रूपये 4000/- (रूपये चार हजार मात्र) प्रतिलॉट बैंक ड्राफ्ट द्वारा "uškuy I HMH dkjwikj'sku fyfeVM] I jnkjx<# के नाम से सूरतगढ में देय हो, जमा करवाना होगा, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी तथा असफल बोलीदाता को जमा की गई धरोहर राशि चैक द्वारा वापिस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. तिल की कटाई व इकट्ठा करके बण्डल बनाकर विनोइंग सेन्टर पर शिफ्ट कर सुखाने के लिए ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
3. फसल की कटाई के बाद पहले बण्डल बनाकर विनोइंग सेन्टर पर खड़े करने होंगे तथा सूखने के बाद गहाई का कार्य करना होगा एवं खण्ड प्रभारी के निर्देशानुसार संतोषजनक गहाई हेतु पुनः गहाई का कार्य करना होगा। तिल को कटाई के पश्चात सुखाने हेतु विनोइंग सेन्टर पर लाने के लिये ट्रेक्टर-ट्रॉली फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. तिल की गहाई (थ्रेसिंग) ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। नीरा/स्ट्रा ठेकेदार का होगा, थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकट्ठा होने के बाद 08-10 दिनों में ही पूरा करना होगा।
5. फसल को चक से कटाई कर फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करके खलिहान पर उतारना होगा व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
6. कार्य चक इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेशानुसार ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. यदि ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना ठेकेदार को देना होगा।
8. जो भी व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा होने तक काम करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तो बकाया कार्य उसके खर्च पर किसी और व्यक्ति या पार्टी से करवाया जायेगा एवं उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।
10. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
11. इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है, तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यक रूप से देना होगा।
12. निविदा कार्य को करने हेतु उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु. 100/- के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
13. यदि कोई ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के बाद छोड़ देता है तो पुनः नीलामी प्रथम ठेकेदार की जिम्मेदारी पर होगा। यदि पुनः नीलामी में अधिक दर आती है तो प्रथम दर के अंतर की राशि प्रथम ठेकेदार को भुगतान करना होगा।
14. यदि किसी ठेकेदार द्वारा या उसके द्वारा लगाये गये कामगारों द्वारा फार्म कर्मियों या अधिकारियों से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो ऐसी अनुशासनहीनता के चलते ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।
- 15- यदि किसी भी पद या मामले में एनएससी और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम दोनों पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष कानून की अदालत में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com

VsMj QkeZ

f nukd%&
d ekd&-----

[kj hQ 2020 ea cks s x; s fry dh dVkbZ@xgkbZ vkfn dk; kã ds fy,

| तिल की कटाई व इकट्ठा करके बण्डल बनाकर विनोडिंग सेन्टर पर खड़े करने होंगे तथा सूखने के बाद गहाई का कार्य करना होगा एवं तुड़ी/स्ट्रा ले जाना। | | | | दर प्रति एकड़ रुपये में | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| [k.M&4 | | | | | | |
| लॉट व चक न0 | ए कटेगरी क्षेत्र (एकड़ में) | बी कटेगरी क्षेत्र (एकड़ में) | सी कटेगरी क्षेत्र (एकड़ में) | कटेगरी ए | कटेगरी बी | कटेगरी सी |
| 1/40 पी बी एन | 00.00 | 25.00 | 26.00 | | | |
| 2/43 पी बी एन | 00.00 | 15.00 | 9.00 | | | |
| ; ksx | 00.00 | 40.00 | 35.00 | | | |
| [k.M&5 | | | | | | |
| 3@50i h0ch0, u | 00.00 | 38.00 | 7.00 | | | |

दिनांक: –

Bdñkj ds gLrk(kj

नाम :-

पिता/पति का नाम :-

गांव व पोस्ट :-

जिला :-

फोन नं. :-

i s u a%& -----